**भारतसरकार**

**सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं.2515**

**उत्तर देने की तारीख 08.08.2018**

**तटीय महाराष्ट्र में सीआईटीयूएस का क्रियान्वयन**

**2515. श्री राजकुमार धूतः**

क्या सूक्ष्म, लघुऔर मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकिः

(क) क्या सरकार ने देश में हाल ही में कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार तटीय महाराष्ट्र में इस कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना को कैसे क्रियान्वित करने का विचार रखती है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री गिरिराज सिंह)**

**(क) और (ख):** सरकार ने ज्यादा निवेश से कयर उत्पादन इकाइयों की स्थापना करके कयर उत्पादन और प्रसंस्करण में नई और नवीनतम (इनोवेटिव) प्रौद्योगिकियों (टेक्नोलॉजी) को प्राप्त करने/अपनाने को बढ़ावा देने, इसके सफल इन्क्यूबेशन, प्रदर्शन और वाणिज्यीकरण के लिए कयर विकास योजना (सीवीआई) के अन्तर्गत कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (सीआईटीयूएस) आरंभ की है। सरकार प्रति कयर इकाई 2.50 करोड़ रू. की अधिकतम सीमा के अधीन संयंत्र और मशीनरी की लागत के लिए 25% राशि की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

**(ग):** स्कीम का उद्देश्य महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्यों में कयर उद्योगों को सहायता प्रदान करना है। महाराष्ट्र राज्य में सिंधुदुर्ग स्थित बोर्ड के उप–क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कयर उद्योग के विकास और संवर्धन की मॉनीटरिंग/कार्यान्वयन किया जा रहा है। स्कीम के कार्यान्वयन की कयर बोर्ड और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मॉनीटरिंग की जाएगी।

\*\*\*\*\*